(77)

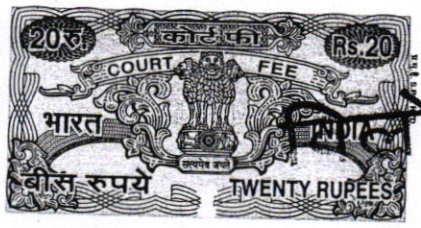

कोर्ट फी COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

निरोपित

न्यायालय :—माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. 2004/तीन/2017 निगरानी विविध-3168/2018/सिंगरौली/भू.रा.
जिलाः—सिंगरौली

बृजलाल खेंरवार आदि
— आवेदकगण

श्री S. P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि. 23-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-5-18 नियत।

बनाम

म.प्र. शासन

——— अनावेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 23-5

आवेदन पत्र वास्ते माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 में आंशिक संशोधन किये जाने बाबत।

मान्यवर,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :—

1. यह कि, माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 में टंकल त्रुटि हो जाने के कारण उसे दुरूस्त कराया जाना न्यायोचित होगा।
2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेष में गुणदोषो के आधार पर पारित किया जा चुका है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण कमांक 99/अ—6अ/1991—92 में पारित आदेष दिनाक 13.03.1993 पारित किया है। आदेष पारित करते समय प्रकरण क्रमांक 99/अ—6/1991—92 अंकित हो गया है। जबकि विचारण न्यायालय के आदेष में 99/अ—6अ/1991—92 अंकित है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक शीर्ष अ—6अ अंकित किया जाना न्यायोचित होगा। यदि उक्त आदेष में इतना संशोधन करने पर गुणदोषो पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। और नही किसी पक्षकार के स्वत्व पर प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त भूल को सुधार कराया जाना न्यायहित में होगा।

01 से 08
दिनांक 23/05/18
हस्ताक्षर व नाम

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार करते हुए निगरानी में पारित आदेष 26.07.2017 में संशोधन करने के आदेष पारित करने की कृपा करें।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध/3168/2018 जिला –संगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
16/7 –18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित होकर आवेदन पत्र वास्ते आदेश दिनांक 26.7.17 में त्रुटि सुधार करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि प्रकरण कमांक 2004–तीन/17 में पारित आदेश दिनांक 26.7.17 के आदेश के पेरा –2 तीसरी लाईन में तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण कमांक 99/अ–6 अ/1991–92 के स्थान पर 99/अ–6 /1991–92 हो गया है एवं इसी प्रकार पैरा 3 की 6 बी लाईन में प्रकरण कमांक 99/अ–6 अ/1991–92 के स्थान पर प्रकरण कमांक 99/अ–6/1991–92 हो गया है। इसी प्रकार पैरा–7 की 7 बी लाईन में प्रकरण कमांक 99/अ–6 अ/1991–92 के स्थान पर प्रकरण कमांक 99/अ–6/1991–92 हो गया है। अतः तहसीलदार के प्रकरण कमांक 99/अ–6/1991–92 के स्थांन पर प्रकरण कमांक 99/अ–6 अ/1991–92 किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक के अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा इस आदेश में तहसीलदार के प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 99/अ–6 /1991–92 के स्थान पर तहसीलदार का प्रकरण कमांक 99/अ–6 अ/1991–92 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	